न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 181/2024(GCMS : 2024/264)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 22 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **मैसर्स रंगोली** इंटरप्राईजेज (पार्टनरशीप फर्म) **पता** राजवी पैलेस के पास, सतीपुरा बाईपास, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ (राज.)–335513
2. **श्री कमलदीप** पुत्र श्री रणवीर **पता** राजवी पैलेस के पास, सतीपुरा बाईपास, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ (राज.)–335513 एवं ग्राम पोस्ट मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर–335038
3. **श्री राजकुमार जान्दू** पुत्र स्व. श्री सुलतान राम जान्दू **पता** राजवी पैलेस के पास, सतीपुरा बाईपास, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ (राज.) –335513 एवं 7–ए–13 मीरा मार्ग, वार्ड नम्बर–33, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान
4. **श्री विदित** पुत्र श्री महावीर **पता** राजवी पैलेस के पास, सतीपुरा बाईपास, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ (राज.) –335513 एवं 7–ए–13 मीरा मार्ग, वार्ड नम्बर–33, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान
5. **श्री अर्जुन चौधरी** पुत्र श्री रामकुमार **पता** राजवी पैलेस के पास, सतीपुरा बाईपास, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ (राज.) –335513 एवं 7–ए–13 मीरा मार्ग, वार्ड नम्बर–33, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान
6. **श्री महावीर प्रसाद जान्दू** पुत्र श्री सुलतानराम जान्दू **पता** 7–ए–13 मीरा मार्ग, वार्ड नम्बर–33, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान

15.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स रंगोली इंटरप्राइजेज, कमलदीप, राजकुमार जान्दू, विदित, अर्जुन चौधरी एवं महावीर प्रसाद जान्दू को ऋण सुविधा के रूप में 53.00/– रूपये ऋण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:40:57 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 17.05.2024 को 29,53,090/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी रामकुमार जान्दू एवं महावीर प्रसाद जान्दू द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 7–ए–13, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर राज. पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 405 वर्गफीट है। (चतुः सीमाऐ – उत्तर में प्लॉट नं. 7–ए–12, दक्षिण मे प्लॉट नं. 7–ए–14, पूर्व में अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में रोड़)**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स रंगोली इंटरप्राइजेज, कमलदीप, रामकुमार जान्दू, विदित, अर्जुन चौधरी एवं महावीर प्रसाद जान्दू को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 26.03.2018 को 25.00/– लाख रूपये का व्यापार ऑडी लोन, दिनांक 26.03.2018 को 20.00/– लाख रूपये का टर्म लोन एवं दिनांक 11.06.2020 को 8.00/– लाख रूपये का टर्म लोन, कुल 53.00/–लाख रूपये **(अखरे रूपये त्रेपन लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रामकुमार जान्दू एवं महावीर प्रसाद जान्दू ने अपनी **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 7–ए–13, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर राज. पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 405 वर्गफीट है। (चतुः सीमाऐ – उत्तर में प्लॉट नं. 7–ए–12, [illegible] प्लॉट नं. 7–ए–14, पूर्व में अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में रोड़)** [illegible] रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.04.2024 को अनर्जक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:40:57 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी रामकुमार जान्दू एवं महावीर प्रसाद जान्दू की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 7—ए—13, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर राज. पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 405 वर्गफीट है। (चतुः सीमाऐ – उत्तर में प्लॉट नं. 7—ए—12, दक्षिण मे प्लॉट नं. 7—ए—14, पूर्व में अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में रोड़), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 31.07.2024 की तामील का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 31.07.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण **को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.08.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:40:57 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी रामकुमार जान्दू एवं महावीर प्रसाद जान्दू द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **रामकुमार जान्दू एवं महावीर प्रसाद जान्दू द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 7–ए–13, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर राज. पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 405 वर्गफीट है। (चतुः सीमाऐ – उत्तर में प्लॉट नं. 7–ए–12, दक्षिण मे प्लॉट नं. 7–ए–14, पूर्व में अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में रोड़), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:40:57 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 15[illegible].2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर